

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-20/2013-
प्रेषक,

263

/क०, पटना, दिनांक 14/3/2014

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Mail/Fax सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

विषय : जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन वर्ष 2013-14 में बीज उत्पादक किसानों को बिहार राज्य बीज निगम द्वारा निःशुल्क आपूरित जैव उर्वरक मद में व्यय हेतु कुल 5272285रूपये (बावन लाख बहत्तर हजार दो सौ पचासी रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-966 दिनांक-04.03.2014 द्वारा जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन वर्ष 2013-14 में बीज उत्पादक किसानों को बिहार राज्य बीज निगम द्वारा निःशुल्क आपूरित जैव उर्वरक मद में कुल 5272285रूपये (बावन लाख बहत्तर हजार दो सौ पचासी रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल 52,72,285(बावन लाख बहत्तर हजार दो सौ पचासी रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।


2. उपरोक्त 52,72,285(बावन लाख बहत्तर हजार दो सौ पचासी रूपये) मात्र की राशि का व्यय बजटशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-105-खाद उर्वरक-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0106-जैविक खेती का उन्नयन, विपत्र कोड-P2401001050106, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5035, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2013-14 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 वि० (2) दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजना,



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक 263 आवंटन

/क०, पटना, दिनांक 14/3/2014

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।





सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

/क०, पटना, दिनांक

2014

सायांक:- 263 आदर्श

क्र०/पटना दिनांक: 14/3/2014

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, (पी0 पी0 एम0),/निदेशक, उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण, /निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/ निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सुतग

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना